

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-४ / निदेशांवि० / छात्रावास(उत्क्रमण)-०१-१०-०१/२०१६- ५८

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक—२५.०७.१७

विषय :—वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में राज्य स्कीम के अन्तर्गत विद्युत कार्यपालक अभियंता विद्युत कार्य प्रमण्डल सं०-१ पटना के पत्रांक—१५७५ अनु० दिनांक—०६.०७.२०१७ के द्वारा सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में भोजपुर (आरा) जिलान्तर्गत अवस्थित राजकीय अम्बेदकर आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों विद्युतिकरण कार्य कराने हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹२९,३१,३०३.०० (Rs Twenty nine lakh Thirty one thousand Three hundred three only) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश :—स्वीकृत।

२— प्रस्तावित राशि वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में राज्य स्कीम मद के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग के मांग सं०-०३ के अन्तर्गत बजट शीर्ष "४०५९— लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय—०१—कार्यालय भवन—७८९—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना—०१०१—अनुसूचित जाति के भवन—विषय शीर्ष—०१०१.५३.०१—मुख्य निर्माण कार्य—विपत्र कोड—०३—४०५९०१७८९०१०१ से राशि विकलनीय होगा। व्यय बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

३— राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक—२५६१ दिनांक १७-४-१९९८ तथा समय—समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

४— स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।

५— निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शा, प्राक्कलन तथा निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्माण करा लिया जायेगा। साथ ही भवन निर्माण विभाग द्वारा अतिरिक्त आवश्यक कार्य की समीक्षा कर राशि बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।


६— इस योजना के लिये नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे। वे समय—समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गई राशि की उपयोगिता की सूचना अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को भी माहवार उपलब्ध करायेंगे।

७— इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त है।

८— इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

९— कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


२५.७.१७
(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

-2-

ज्ञापांक— 4 / निदेशो 0 वि० / छात्रावास(उत्क्रमण)–01–10–01 / 2016 – ५८ पटना, दिनांक— २५.०७.१७

प्रतिलिपि— प्रधान सचिव वित्त विभाग, बजट, शाखा/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग/मुख्य महाप्रबन्धक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिंग, पटना/संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार पदाधिकारी बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/निदेशक, अनुजनजाति कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, भोजपुर /उप विकास आयुक्त, भोजपुर /उप निदेशक, कल्याण, पटना /जिला कल्याण पदाधिकारी, भोजपुर /विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, स०-१ पटना भवन निर्माण विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, अनुजनजाति एवं अनुजनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

विवरणी

Sl. No	Name of Work	Estimated Cost (Rs)
1	Rewiring with addition and alteration to E.I in the Ambedkar welfare Hostel No. 2 (Old building), Hostel No. 2(G+2) New, Hostel No. 3(old Building) and Hostel No.3(New red building) at Katira, Ara	₹22,19,271.00
2	Rewiring with addition and alteration to E.I in the Ambedkar Residential Boys School Maulabagh at Ara	₹5,12,291.00
3	Rewiring with addition and alteration to E.I in the Womem's welfare Hostel situated in the campus of Mahant Mahadev College at Ara	₹1,99,741.00
	Total	₹29,31,303.00

(Rs Twenty nine lakh Thirty one thousand Three hundred three only)


सरकार के सचिव।